Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में राजस्थान रोडवेज का डिपो मैनेजर 11 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *01 नवम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. अलवर इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये कैलाश मीणा डिपो मैनेजर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डिपो–तिजारा, जिला अलवर को परिवादी से 11 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि ड्यूटी ज्वाईन करवाने एवं वेतन भुगतान करवाने की एवज में कैलाश मीणा डिपो मैनेजर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डिपो–तिजारा, जिला अलवर द्वारा 35 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अलवर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री महेन्द्र कुमार** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये कैलाश मीणा पुत्र श्री मूलचन्द मीणा निवासी जाखीवालों की ढ़ाणी, ग्राम चांदराना, पुलिस थाना सैंथल, जिला दौसा हाल निवासी अनाज मण्डी रोड़, दौसा हाल डिपो मैनेजर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डिपो–तिजारा, जिला अलवर को परिवादी से **11 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्व अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्व भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।